सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 30, मंगलवार, शाके 1943-दिसम्बर 21, 2021 *Agrahayana 30, Tuesday , Saka 1943- December 21, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

अधिसूचना (घोषणा)

जयपुर, नवम्बर 19, 2021

संख्या एफ 3(6) इगानवि/ विशा/ 2019 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फव्वारा पद्धति से सिचाई हेतु चौ. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर के सुरजनसर माईनर के कुल 1 चक में 3 डिग्गियों के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि निम्नाकित वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के प्रावधानो के अनुसार एंव राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 उन सब हितकारियो के निमित्त जिनका इससे सम्बंध हो की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर को कथित भूमि को अवाप्ति के लिए निर्देशित किया जाता है ।

प्रकरण में अधिनियम की धारा 11-12 के तहत विज्ञप्ति क्रमांक एफ 3 (6) इगानवि/भूअ/2019 दिनांक 20.05.2020 को जारी की गई थी। पूर्व में बजट की अनुपलब्धता एवं कोरोना महामारी के कारण कार्यवाही में विलम्ब हुआ, जिसे ध्यान में रखते हुये अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत धारा 11-12 की विज्ञप्ति में वैधता अवधि दिनांक 20.05.2021 से 6 माह अर्थात 19.11.2021 तक बढाई गई है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी, इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर तथा अधिशाषी अभियन्ता सर्वे एवं अन्वेषण लिफ्ट खण्ड प्रथम, इगानप, रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

<u>विवरण संलग्न सूची के अनुसार</u>

संलग्न-- सूची

आज्ञा से

देशराज मीणा,

उपशासन सचिव

इंदिरा गांधी नहर विभाग जयपुर।

विवरण सूची
धारा 19 के भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 19 प्रस्ताव की कार्यवाही हेतु चौ. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट

नहर प्रणाली में फव्वारा पद्धति से सिंचाई हेतु सुरजनसर माईनर के चक 1 SSM कुल 1 चक में 3 डिग्गियों के निर्माण के लिए अवाप्त भूमि ग्राम-सुरजनसर, तहसील-नोहर, जिला-हनुमानगढ, के निर्माण में प्रभावित काश्तकारो की भूमि का विवरण।

क्र. स.	गाँव का नाम	चक न/. डिग्गी न.	भूमि धारक का नाम	ख.स.	खसरे का कुल रकबा (है० में(	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा		किस्म भूमि	विशेष विवरण
						हेक्टर	बीघा / बिस्वा		
1	सुरजनसर	1 SSM डिग्गी A	बुधा दुदा पि . सरवण कौम मेघवंशी सा .देह खातेदार मूर्तहिन	323	3.694	1.012	4 बीघा	बारानी 1	
2	सुरजनसर	1 SSM Diggi-B & Diggi-C	सुलतान दयाराम खियाराम हेतराम देवीलाल पि . आदुराम बहिब कौम बावरी सा .2 NGM त . रावतसर खातेदार	324	3.795	2.024	8 बीघा	बारानी 1	
	Total	**3**				**3.036**	**12 बीघा**		

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।